

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1979/कार्तिक 26, 1901
No. 475] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1979/KARTIKA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1979

का. आ. 730(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निवेश देता है कि इसकी तारीख 3 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 434/गज./79(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

- (1) मद संख्या 9, “9-धन्धका (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर” के सामने, विद्यमान प्रविष्टि संख्या 5

के स्थान पर, "सहायक निदेशक, लघु बचत अहमदाबाद नगर, अहमदाबाद", प्रविष्टि रखी जाएगी; और

- (2) मव संख्या 12, "12-मेहसाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर" के सामने, विद्यमान प्रविष्टि संख्या 6 के पश्चात्, "7. उप कलेक्टर, आयुक्त का कार्यालय (भूमि सुधार). गांधीनगर ।" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[सं. 434/गुज./79(2)]

आदेश से

ओ. ना. नागर, जवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1979

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/GJ/79(2), dated 3rd October, 1979, namely :—

In Column 2 of the Table appended to the said notification—

- (i) against item 9, 'Returning Officer of 9-Dhandbuka (SC) parliamentary constituency for the existing entry numbered 5. the entry "Assistant Director, Small Savings, Ahmedabad City, Ahmedabad," shall be substituted; and
- (ii) against item 12, 'Returning Officer of 12-Mehsana parliamentary constituency', after the existing entry numbered 6 the entry "7. Deputy Collector, Office of Commissioner (Land Reforms), Gandhi-nagar",

shall be inserted.

[No. 434/GJ/79(2)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.